|  |
| --- |
| तथ्य-पत्रक - नाज़ी प्रतीकों और इशारों पर प्रतिबंध  |

# भूमिका

 **लोगों को नाज़ी पार्टी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों और इशारों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या लागू करने से रोकने के लिए** विक्टोरिया सरकार ने नए कानून पेश किए हैं।

जर्मनी में नाज़ी पार्टी और ‘थर्ड रीछ’ (The Third Reich) द्वारा 20वीं सदी के शुरू से मध्य तक इस्तेमाल किया जाने वाला ‘हेकेनक्रेउज़’ (Hakenkreuz) (मुड़ा हुआ या हुक वाला क्रॉस), जो मानवता के खिलाफ़ नाज़ी पार्टी के अपराधों का सबसे व्यापक रूप से प्रतीक है, उसे प्रदर्शित करना पहले से ही एक आपराधिक जुर्म है।

नए कानून नाज़ी सलामी सहित अतिरिक्त नाज़ी प्रतीकों और इशारों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर इस मौजूदा अपराध का विस्तार कर रहे हैं।

इस तरह के प्रदर्शनों से विक्टोरियाई समुदाय के सदस्यों को नुकसान पहुँचता है और यह अस्वीकार्य है। यह प्रतिबंध एक स्पष्ट संदेश देता है कि विक्टोरिया में नाज़ी विचारधारा और वह घृणा, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

इस अपराध के कई अपवाद हैं (जहाँ यह लागू नहीं होता है)। इनमें शामिल हैं वहाँ, जहाँ ऐसा प्रदर्शन वास्तविक शैक्षणिक, धार्मिक, कलात्मक या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उचित और साफ़ नीयत से किया जाता है।

बौद्ध, हिंदू, जैन और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए स्वास्तिक के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानने वाले मौजूदा अपवाद लागू रहेंगे। इन समुदायों के लिए, स्वास्तिक (जिसे गलती से नाज़ी हेकेनक्रूज़ समझा जा सकता है) शांति और सौभाग्य का एक प्राचीन और पवित्र प्रतीक है।

# अपराध क्या है?

कोई व्यक्ति आपराधिक जुर्म करता है, यदि वह:

* सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रूप से नज़र में आने वाले स्थानों पर नाज़ी पार्टी द्वारा उपयोग किए गए प्रतीक या संकेत को जानबूझकर प्रदर्शित या लागू करता है, और
* इस बात से अवगत है, या यथोचित रूप से उसे अवगत होना चाहिए, कि लागू किया जाने वाला प्रतीक या इशारा, एक नाज़ी प्रतीक या इशारा है।

# अपराध करने पर क्या दंड मिलता है?

अपराध करने वाले व्यक्ति को $23,000 का जुर्माना, 12 महीने की जेल, या इन दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

# कौन से नाज़ी प्रतीकों और इशारों पर प्रतिबंध लागू है?

नाज़ी पार्टी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे व्यापक प्रतीक और संकेत हेकेनक्रूज़ और नाज़ी सलाम हैं। इनका उपयोग विक्टोरियाई समुदाय के सदस्यों के प्रति घृणा को भड़काने के लिए किया जाता है और यही कारण है कि उनपर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े अर्धसैनिक बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रतीकों और इशारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही नाज़ी प्रतीक या इशारे से काफी मिलते-जुलते प्रतीकों और इशारों पर भी प्रतिबंध है।

नाज़ी पार्टी का मतलब नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (NSDAP) है, जो 1920 से 1945 तक सक्रिय थी। नाज़ी पार्टी में इसके अर्धसैनिक चिन्ह, जैसे SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel), NSKK (नेशनल सोशलिस्ट मोटर कॉर्प्स) और NSFK (नेशनल सोशलिस्ट फ़्लायर्स कॉर्प्स) भी शामिल हैं।

यह तय करना अंतत: अदालतों पर निर्भर करेगा कि कौन से प्रतीक और इशारे इस प्रतिबंध के दायरे में आते हैं। हालाँकि, नए कानूनों का उद्देश्य उन झंडों, प्रतीक चिन्हों और पदकों को शामिल करना है जिनका इस्तेमाल नाज़ी पार्टी और उसके अर्धसैनिक चिन्हों द्वारा किया गया था, जिनमें शामिल हैं:

* SS bolts का प्रतीक (sig runes)
* ‘टोटेनकोफ़/Totenkopf’ (या नाज़ी खोपड़ी), जिसका उपयोग SS द्वारा भी किया जाता था
* SA, NSKK और NSFK के अन्य प्रतीक।

# क्या इसमें कोई अपवाद हैं (जहाँ यह लागू नहीं होता है)?

यह देखते हुए कि नाज़ी प्रतीकों और इशारों को वैद्य उद्देश्यों के लिए प्रदर्शित या क्रियान्वित किया जा सकता है, इस अपराध के कई अपवाद हैं।

यदि कोई व्यक्ति नाज़ी प्रतीक या संकेत को उचित और साफ़ नीयत से प्रदर्शित या क्रियान्वित करता है तो वह अपराध नहीं कर रहा है:

* किसी वास्तविक शैक्षणिक, कलात्मक, शैक्षिक, या वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए, या
* किसी भी घटना या सार्वजनिक हित के मामले की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट बनाने या प्रकाशित करने के लिए।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति थिएटर प्रदर्शन के दौरान नाज़ी सलामी देता है, या कोई शिक्षक ऐसी फिल्म दिखाता है जिसमें SS प्रतीक को इतिहास की कक्षा के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।

प्रदर्शित करते समय लोग अपराध नहीं कर रहे होते हैं, यदि वे निम्न को प्रदर्शित कर रहे हैं:

* वास्तविक रूप से सांस्कृतिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई नाज़ी प्रतीक। यह सुनिश्चित करता है कि कुछ धर्म पवित्र स्वस्तिक का उपयोग जारी रख सकते हैं।
* नाज़ीवाद या उससे संबंधित विचारधाराओं के विरोध में किया गया कोई नाज़ी प्रतीक या इशारा।

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो नाज़ी जर्मनी का झंडा प्रदर्शित करता है, जिसके आर-पार कोई लकीर लगाई गई हो, या कोई व्यक्ति जो LGBTIQ+ समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुलाबी त्रिकोण को प्रदर्शित करता है।

नाज़ी प्रतीकों या इशारों वाले टैटू इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं।

कानूनी व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाओं या न्यायायिक प्रशासन के उद्देश्यों के लिए भी यह लागू नहीं होते हैं।

# क्या धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से स्वस्तिक के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध है?

यह अपराध सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्वस्तिक (जिसे गलती से नाज़ी हेकेनक्रूज़/Hakenkreuz समझ लिया जा सकता है) के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाता है।

उदाहरण के लिए:

* हिंदू आस्था का व्यक्ति सौभाग्य के प्रतीक के रूप में अपनी दुकान की सामने वाली खिड़की पर स्वास्तिक प्रदर्शित करता है।
* जैन आस्था का व्यक्ति अपने नए वाहन का उपयोग करने से पहले सौभाग्य के प्रतीक के रूप में उसपर स्वास्तिक बनाता है।
* बौद्ध आस्था का व्यक्ति किसी बौद्ध मंदिर में अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में, छाती पर स्वास्तिक लिए बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शित करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया [DFFH तथ्य पत्र] देखें, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वस्तिक की उत्पत्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक शिक्षा अभियान चलाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप; बौद्ध, हिंदू और जैन समुदायों के लिए इसके महत्व को पहचानें; और जानें कि यह नाज़ी हेकेनक्रूज़/Hakenkreuz से कैसे भिन्न है।

# क्या नाज़ी प्रतीकों और इशारों को ऑनलाइन प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है?

यह कानून नाज़ी प्रतीकों या इशारों पर केवल तब लागू होता है जब वे सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देते हैं, ऑनलाइन नहीं।

यदि आपको ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया कोई नाज़ी प्रतीक या इशारा दिखाई देता है, तो आपको गैर-आपातकाल मामलों के संबंध में पुलिस सहायता लाइन (131 444) के माध्यम से विक्टोरिया पुलिस से संपर्क करना चाहिए।

आप गंभीर साइबर दुरुपयोग सामग्री को हटाने का अनुरोध करने के लिए ई-सुरक्षा आयुक्त (eSafety Commissioner) को प्रदर्शन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

# यदि मैं नाजी प्रतीक या संकेत प्रदर्शित करने या क्रियान्वित करने के बारे में अनिश्चित हूं तो क्या होगा?

यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि नाज़ी प्रतीकों या इशारों के सार्वजनिक प्रदर्शन या रंगमंच भूमिका की अनुमति है या नहीं, तो आपको निष्पक्ष कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

विक्टोरिया लीगल एड कई मामलों पर निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करता है। उनसे उनकी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करें [www.legalaid.vic.gov.au/contact-us](http://www.legalaid.vic.gov.au/contact-us).

विक्टोरिया लीगल एड की कानूनी सहायता फोन लाइन 1300 792 387 के माध्यम से आप कानून के बारे में निःशुल्क जानकारी भी प्राप्त कर सकते/ती हैं। फ़ोन लाइन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8  बजे से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध है।

लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ विक्टोरिया (LIV) की कानूनी रेफरल सेवा (Legal Referral Service), निष्पक्ष कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए किसी विशेषज्ञ वकील का पता लगाने में आपकी मदद कर सकती है।

आप इस सेवा तक [www.liv.asn.au/referral](http://www.liv.asn.au/referral) या (03) 9607 9550 के माध्यम से पहुंच सकते/ती हैं। पहले परामर्श निःशुल्क हैं।

# विक्टोरिया पुलिस के पास अपराध को लागू करने की क्या-क्या शक्तियाँ हैं?

पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसपर आरोप लगा सकती है, जो सार्वजनिक रूप से नाज़ी प्रतीक या इशारा प्रदर्शित कर रहा है।

पुलिस निम्न भी कर सकती है:

* यदि उन्हें यथोचित रूप से विश्वास है कि वह व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो वे उस व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान से नाज़ी प्रतीक या इशारा हटाने का निर्देश दे सकती है
* किसी संपत्ति के मालिक या कब्ज़ाधारी को सार्वजनिक दृष्टि से नाज़ी प्रतीक या इशारा हटाने का निर्देश दे सकती है
* ऐसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगा सकती है, जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले नाज़ी प्रतीक या संकेत को हटाने के निर्देश का पालन नहीं करता है। यह जुर्माना लगभग $1,900 या 10 जुर्माना इकाइयां हैं।

पुलिस परिसर की तलाशी लेने और नाज़ी प्रतीक या इशारा प्रदर्शित करने वाली संपत्ति को ज़ब्त करने के वॉरंट के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में भी आवेदन कर सकती है।

# मैं अपराध की रिपोर्ट कैसे कर सकता/ती हूँ?

यदि आप पुलिस को नाज़ी प्रतीक या इशारे के प्रदर्शन या क्रियान्वित किए जाने की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, या क्राइम स्टॉपर्स को 1800 333 000 पर फ़ोन करें।

यदि रिपोर्ट तत्काल होने वाले किसी जोखिम के संबंध में है, तो कृपया ट्रिपल ज़ीरो (000) पर फ़ोन करें।